परिपत्र सं. 8/8/2017-जीएसटी

मिसिल सं. 349/ 74/2017-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

(जीएसटी पॉलिसी विंग)

****

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर, 2017

सेवा में,
मुख्य प्रधान आयुक्त / मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/
मुख्य आयुक्त केन्द्रीय कर (सभी)
प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदय/महोदया,

<u>विषय: निर्यात के लिए बान्ड/वचन पत्र प्रस्तुत किए जाने संबंधी मुद्दों पर स्पष्टीकरण।</u>

एकीकृत कर का भुगतान किए बिना माल या सेवाओं अथवा दोनों के निर्यात के लिए बान्ड/वचन पत्र जमा करते समय, निर्यातकों के सामने आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना सं. 37/2017-केंद्रीय कर दिनांक 4 अक्टूबर, 2017 जारी की गई जिसके केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम 2017 (यहां सीजीएसटी नियम कहा गया है) के नियम 96ए के तहत सभी निर्यातकों के लिए कुछ शर्तों के अधीन सुरक्षा सहित वचन पत्र की सुविधाएं बढ़ गई। यह अधिसूचना, अधिसूचना सं. 16/2017-केंद्रीय कर दिनांक 07 जुलाई 2017 के अधिक्रमण, सिवाय उन कार्यों के जो कि अधिक्रमण से पहले या तो किया गया हो या छोड़ दिया जाए ।

2. नई अधिसूचना के तहत इस मामले में तीन परिपत्र सं. 2/2/2017-जीएसटी दिनांक 5 जुलाई 2017, परिपत्र सं. 4/4/2017-जीएसटी दिनांक 7 जुलाई 2017 और परिपत्र सें. 5/5/2017-जीएसटी दिनांक 11 अगस्त 2017, जो कि बांड/वचन पत्र के तहत निर्यात के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण करने हेतु जारी किया गया था, अब इसमें संशोधन की आवश्यकता है और इस मामले पर एक समेकित परिपत्र वारंट है । तदनुसार इस संबंध में प्रक्रिया में

एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड ने केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, निम्नलिखित मुद्दों को स्पष्ट करता है :

क) एलयूटी (वचन पत्र) के तहत निर्यात करने की योग्यता: एलयूटी (वचन पत्र) के तहत अब निर्यात की सुविधा एकीकृत कर की भुगतान किए बिना अब उन सभी पंजीकृत व्यक्तियों तक विस्तृत कर दिया गया जो सीजीएसटी ए या इंटीग्रेटेड गुड्स एडं सर्विसेज टैक्स, अधिनियम व मौजूदा कानून के तहत किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलने व जिस पर दो सौ और पचास लाख रुपए अधिक का मामला चल रहा हो, वालों को छोड़कर जिसने एलयूटी के तहत निर्यात की सुविधा को स्थिति धारक के रूप में विस्तारित किया। अधिसूचना सं. 16/2017-केंद्रीय कर दिनांक 7 जुलाई 2017 के तहत, विदेशी व्यापार नीति 2015-2020 के अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निर्यात कारोबार का 10% न्यूनतम विदेशी आवक का प्रेषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए जो रूपये से कम नहीं था।

ख) एलयूटी की वैधता : वचन पत्र उस पूरे वित्तीय वर्ष में वैध होगा जिस वर्ष उसे प्रस्तुत किया गया है। हालांकि यदि सीजीएसटी के नियम 96ए के उपनियम (i) में निर्दिष्ट की गई समय सीमा के अनुसार यदि माल का निर्यात नहीं किया जाता है और पंजीकृत व्यक्ति कथित उपनियम में उल्लिखित राशि अदा करने में असमर्थ रहता है तो वचन पत्र के तहत निर्यात की सुविधा को निरस्त किया हुआ माना जाएगा। यदि कथित उपनियम में उल्लिखित राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो एलयूटी के तहत निर्यात की सुविधा को बहाल कर दिया जाएगा । परिणामस्वरूप वचन पत्र के तहत निर्यात करने की सुविधा को निरस्त किए जाने से बहाल किए जाने तक की समयावधि के दौरान निर्यात या तो स्वीकार्य एकीकृत कर के भुगतान द्वारा या बान्ड के तहत बैंक गारंटी के माध्यम से किया जाता है।

ग) बान्ड/एलयूटी(वचन पत्र) के लिए फॉर्म : फार्म जीएसटी आरएफडी-11 कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध है पंजीकृत व्यक्ति (निर्यातक) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की वेबसाइट (www.cbec.gov.in) से जीएसटी और आरफडी-11 का फार्म डाउनलोड कर सकते हैं और विधिवत भरा हुआ फार्म उन क्षेत्रीय उप/सहायकों आयुक्तों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं जिनका व्यवसाय के मुख्य क्षेत्र पर अधिकार हो। वचन पत्र पंजीकृत व्यक्ति के लेटर हेड या प्रति के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और कार्य में साझेदार प्रबंध निदेशक, कंपनी सचिव या मालिक अथवा कार्य में साझेदार द्वारा उचित रूप से प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति या ऐसी किसी कंपनी के निदेशक मंडल या मालिक द्वारा निष्पादित किया जाता

है। बान्ड को यथाआवश्यकता, उस राज्य में लागू कीमत के गैर अदालती स्टाम्प पेपर में भरा जाएगा जहां बान्ड प्रस्तुत किया जाना है।

घ) (वचन पत्र) के लिए दस्तावेज: स्वत: घोषणा का आशय यह होगा कि वचन पत्र की जो शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं वे तभी स्वीकार्य होंगी जब तक कि विशिष्ट जानकारी उपलब्ध ना हो वह स्वघोषणा निर्यातक द्वारा होगी कि उस पर कोई मुकदमा नहीं किया गया है निर्यातक द्वारा की गई घोषणा अधिसूचना सं. 37/2017-केंद्रीय कर दिनांक 4 अक्टूबर 2017 के उद्देश्य को पूरा करने हेतु निर्यातक द्वारा स्वघोषणा की जाएगी कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया है-उसका सत्यापन, यदि कोई हो तो तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है ।

ड.) एलयूटी (वचन पत्र)/बान्ड को स्वीकार करने का समय: चूंकि एलयूटी (वचन पत्र)/बान्ड निर्यात की प्राथमिक आवश्यकता है जिसमें एसईजेड विकासक या एक एसइजेड ईकाई को निर्यात भी शामिल है, वहां एलयूटी (वचन पत्र)/बान्ड की प्रक्रिया को अधिकतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए । यह स्पष्ट किया जाता है एलयूटी (वचन पत्र) की अनुच्छेद 2(घ) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार निर्यातक द्वारा दी गई स्वघोषणा सहित प्राप्ति के तीन दिन के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए । यदि एलयूटी (वचन पत्र)/बान्ड प्रस्तुत करने की तारीख के तीन कार्यदिवसों के भीतर स्वीकार नहीं किया गया तब भी उसे स्वीकार्य ही माना जाएगा।

च) बैंक गारंटी: चूकि एलयूटी (वचन पत्र) के तहत निर्यात की सुविधा को सभी पंजीकृत व्यक्तियों तक विस्तृत कर दिया गया है, अत: बान्ड उन्हीं व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिन पर दो सौ पचास लाख रुपए से अधिक का राशि के संबंध में कानूनी मामला दायर किया गया है । सभी मामलों में बान्ड के साथ, बान्ड की राशि पर 15 % की बैंक गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी।

छ) रनिंग बान्ड संबंधी स्पष्टीकरण : निर्यातक एक रनिंग बान्ड प्रस्तुत करेंगे जहां बान्ड की राशि में निर्यात पर स्व-अनुमानित कर देयता शामिल की जाएगी। निर्यातक इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि निर्यात पर बकाया एकीकृत कर देयता बान्ड राशि में शामिल है। यदि बान्ड की राशि निर्यात पूर्ण करने के लिए की जाने वाली कथित देयता के लिए अपर्याप्त है तब ऐसी स्थिति में निर्यातक उस देयता को पूरा करने के लिए नया बान्ड प्रस्तुत करेंगे। रनिंग बान्ड में एकीकृत कर की डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टि का प्रबंध करने की जिम्मेदारी निर्यातक की होगी। ऐसी प्रविष्टियों का रिकॉर्ड यथास्थिति एवं यथा आवश्यकता केंद्रीय कर अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

ज) अधिकारियों द्वारा सील किया जाना : जब तक अनिवार्य सेल्फ सीलींग संचालित की जाती है, कन्टेनरों की सीलींग जहां अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाना अपेक्षित हो, केन्द्रीय सीमा शुल्क अधिकारी जिसका व्यवसाय के स्थान पर क्षेत्रा अधिकारों उसके

पर्यवेक्षण में किया जाएगा, सीलींग रिपोर्ट की एक प्रतिलिपी व्यवसाय के मुख्य स्थान के क्षेत्रीय उप/सहायक आयुक्त को भेजी जाएगी ।

झ) निर्माता से क्रय करना और फार्म सीटी-1: यह स्पष्ट किया गया है कि सीटी -। जारी किए जाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जीएसटी व्यवस्था के तहत कर का भुगतान किए बिना व्यापारी निर्यातकों को निर्माता से माल खरीदने के लिए सक्षम बनाता है। निर्माता और व्यापारी के बीच में किया गया लेन-देन की प्रकृति आपूर्ति है एवं जीएसटी के दायरे में आता है ।

ञ) इओयू के साथ लेन देन : ईओयू को आपूर्ति करने के लिए जीरो रेटिंग लागू नहीं है और जीएसटी व्यवस्था के तहत उनके लिए कोई विशेष वितरण नहीं है। अत: किसी अन्य करयोग्य आपूर्ति की भांति ईओयू को की जाने वाली आपूर्ति भी कर योग्य है। निर्यात की सीमा तक ईओयू, किसी भी अन्य निर्यातक की भांति जीरो रेटिंग के योग्य है।

ट) भारतीय रुपए में निर्यात आय की प्राप्ति : आरबीआई के मास्टर परिपत्र सं. 14/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 (5 नवम्बर, 2015 को अद्धतन) के भाग-1 अनुच्छेद ए (v) पर ध्यान आमंत्रित किया जाता है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहीत तैयार किए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के संदर्भ में भारतीय रुपए में निर्यात अनुबंधों के चालान पर कोई प्रतिबंध नहीं है । आगे विदेशी व्यापार नीति (2015-2020) के अनुच्छेद 2.52 के संदर्भ में भारतीय रुपए में निर्यात अनुबंधों पर चालान के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आगे विदेशी व्यापार नीति के अनुच्छेद 2.52 के संदर्भ में सभी निर्यात अनुबंधों और चलानों को या तो स्वतंत्र परिवर्तनीय मुद्रा में या भारतीय रुपए में नामित किया जाएगा किंतु निर्यात आय स्वतंत्र परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त की जाएगी। हालांकि विशिष्ट निर्यात के समक्ष निर्यात आय की भी स्वतंत्र परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्ति की जा सकती है बशर्ते कि वह एशियन क्लीयरिंग यूनियम (एसीयू) के किसी सदस्य देश या नेपाल अथवा भूटान के अलावा किसी अन्य देश में स्थित अप्रवासी बैंक का स्वतंत्र परिवर्तनीय खाता हो।

तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि नेपाल/भूटान/सेज डेवलपर/सेज इकाई की माल की आपूर्ति के लिए वचन-पत्र स्वीकार करने के लिए मान्य होगा जब तक की वे आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुरूप हो चाहे भुगतान भारतीय मुद्रा में किए जाए या परिवर्तनीय विदेशी विनमय में किया गया हो ।

इसी क्रम मे यह भी ध्यान दे कि एसइजेड डेवलपर या एसईजेड इकाई को वचन पत्र के अंतर्गत की गई सेवाओं की आपूर्ति भी मान्य होगी । हालांकि नेपाल या भूटान को सेवाओं

की आपूर्ति को तभी सेवाओं का निर्यात माना जाएगा जब उन सेवाओं की भुगतान, आपूर्तिकर्ता द्वारा परिवर्तनीय विदेशी विनिमय में प्राप्त किया गया हो ।

ठ) क्षेत्रीय अधिकारी: सीजीएसटी की धारा 5 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों के संचालन में यह कहा जाता है कि एलयूटी (वचन पत्र) /बान्ड **क्षेत्रीय** उप/सहायक आयुक्त द्वारा स्वीकार किया जाएगा जिसका निर्यातक के प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र पर अधिकार हो । निर्यातक को केन्द्रीय कर प्राधिकरण या राज्य कर प्राधिकारी के समक्ष एलयूटी (वचन पत्र)/बान्ड प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी तब तक जब निर्यातक को केन्द्रीय कर प्राधिकरण या राज्य कर प्राधिकरण के समक्ष प्रशासनिक तंत्र का कार्यान्वयन किया जा सकता है ।

3. परिपत्र सं. 2/2/2017-जीएसटी दिनांक 5 जुलाई, 2017, परिपत्र सं. 4/4/2017-जीएसटी दिनांक 7 जुलाई 2017 और परिपत्र सं. 5/5/2017- जीएसटी दिनांक 11 अगस्त 2017 जो रद्द किया जा चुका है अथवा जिसे किये जाने से रोक दिया गया हो, के अलावा अन्य का विखण्डन किया जाता है ।

4 यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री को प्रचारित करने के लिए उपयुक्त ट्रैड नोटिस जारी किया जा सकता है।

5 यदि उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तब उसे बोर्ड ध्यान में लाया जा सकता है ।

(उपेन्द्र गुप्ता)
आयुक्त (जीएसटी)